

12.8.24

अधिकारी महोदय अन्य कार्य में  
गन्त/प्रीटिंग/आवकाश पर है। पत्रावली  
संख्यांक 16/24 को पेश है।

16.8.24

वकील उमचपक्ष उपरिपत्र 1 बहस सुनी  
गई- पत्रावली का अवलोकन किया गया  
बाद अवलोकन पाया कि वाद बढी  
बढीकार किया जाना न्यायोचित है।

विरहून निर्णय छक से लिखवाया  
आकर सुते न्यायालय में पुनाया गया  
शा.प. किया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की आकर  
बाद तकमील डारिबल दफतर हो।

५

(सुधाति गुप्ता)

अपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन महायक कलेक्टर  
दिल्ली